कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

शिवाजी नगर जोन–04

क्र./शि.न./रा.वि./जोन–4/2025/198 भिलाई दिनांक – 16/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री शिवचंद कुमार राम, आ. श्री बालकृष्ण राम, एवं
श्रीमती उर्मिला देवी, पति श्री शिवचंद कुमार राम
पता–म.नं.–24, शिवाजी नगर, खुर्सीपार वार्ड–51

विषय :– बापू नगर जोन–2 में स्थित (तत्कालीन साडा) नगर पालिक निगम भिलाई के स्वामित्व की भूमि पर अपने हक/दावा के समर्थन में दस्तावेज पेश करने अथवा उक्त भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– 1. अधिवक्ता श्री किशोर कुमार अग्रवाल, दिगम्बर जैन मंदिर रोड, दुर्ग द्वारा प्रेषित धारा 401, नगर पालिक निगम, अधिनियम के तहत नोटिस व शिकायत दिनांक–07.04.2025।

2. सार्थ–ई पोर्टल पर दर्ज प्रकरण क्र. DRG-C-6666

3. आपका पत्र दिनांक–07.05.2025

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत वार्ड क्र. 44 लक्ष्मीनारायण नगर अंतर्गत स्थित ग्राम–छावनी, खुर्सीपार बापू नगर जोन–2 में स्थित (तत्कालीन साडा) नगर पालिक निगम भिलाई के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर आपके द्वारा व्यवस्थापन एवं सम्पत्तिकर जमा करने आदेश व निर्देश दिये जाने धारा 401 के तहत नोटिस व निवेदन किया गया है।

तत्संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त वर्णित स्थल का हक व दावा के समर्थन में 15 दिवस के भीतर वैधानिक दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा वैधानिक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में उक्त स्थल को रिक्त करें। अन्यथा, मान. छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस मामले में पारित निर्णय दिनांक–13.11.2024 में दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए छ.ग. न.पा. नि. अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत अवैध कब्जा बेदखली की कार्यवाही कर अचल सम्पत्ति का कब्जा लेने की कार्यवाही की जावेगी।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ.क्र./शि.न./रा.वि./जोन–4/2025/199 भिलाई, दिनांक – 16/6/2025

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. जोन आयुक्त, जोन–04 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. भवन निर्माण अनुज्ञा अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर, न.पा.नि. भिलाई को उक्त सूचना वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई